बदलाव करने के लिए 90 दिनों का वक्त चाहिए। तब तक, अदालत अपने आदेश को स्थगित कर सकती है।

के कुछ हिस्सों में कोविड–19 पूर्णबंदी के कारण और बढ़ गई है। (भाषा)

एनएचपीसी लिमिटेड
(भारत सरकार का उद्यम)

CIN: L40101HR1975GOI032564
पंजीकृत कार्यालयः एनएचपीसी कार्यालय परिसर, सैक्टर-33, फरीदाबाद, (हरियाणा)-121003
ई–मेलः companysecretary@nhpc.nic.in, टेलीफैक्सः 0129-2588110, वेबसाइटः www.nhpcindia.com

45वीं वार्षिक आम बैठक की सूचना, ई–मतदान की जानकारी और बही बंदी

एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि एनएचपीसी लिमिटेड के सदस्यों की 45वीं वार्षिक आम बैठक ("एजीएम") कारपोरेट कार्य मंत्रालय ("एमसीए") और सेबी द्वारा जारी इस विषय पर अन्य लागू परिपत्रों के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 ("अधिनियम") और भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड ("सेबी") (लिस्टिंग दायित्वों और प्रकटीकरण आवश्यकताओं) विनियम, 2015 के अनुपालन में, दिनांक **अगस्त 28, 2021** की एजीएम की सूचना में विनिर्दिष्ट किए गए कारोबार को संचालित करने के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ("वीसी") / अन्य ऑडियो–विजुअल मीन्स ("ओएवीएम") के माध्यम से **बुधवार, सितंबर 29, 2021** को **3:00** बजे आयोजित की जाएगी। सुसंगत परिपत्रों के अनुपालन में, **20 अगस्त, 2021** की स्थिति के अनुसार उन सभी सदस्यों जिनके ई–मेल पते कंपनी / आरटीए / डिपॉजिटरी सहभागियों (डीपी) के साथ पंजीकृत हैं, को इलेक्ट्रॉनिक मोड के माध्यम से एजीएम की सूचना और वार्षिक रिपोर्ट 2020–21 दिनांक **सितंबर 02, 2021** को भेज दी गई है। पूर्वकथित दस्तावेजों को कंपनी की वेबसाइट www.nhpcindia.com पर और स्टॉक एक्सचेंजों की वेबसाइट अर्थात् बीएसई लिमिटेड और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड की वेबसाइट क्रमशः www.bseindia.com और www.nseindia.com पर और ई–वोटिंग सेवा प्रदाता अर्थात् मेसर्स नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड (एनएसडीएल) की वेबसाइट पर भी उपलब्ध हैं। वीसी / ओएवीएम सुविधा के माध्यम से भाग लेने वाले सदस्यों को इस अधिनियम की धारा 103 के तहत न्यूनतम अपेक्षित संख्या (कोरम) के उद्देश्य से गिना जाएगा।

आगे यह सूचित किया जाता है कि सुसंगत नियमों के साथ पठित अधिनियम की धारा 91 के प्रावधानों और सेबी (एलओडीआर) के विनियम 42 के अनुसार, कंपनी के सदस्यों का रजिस्टर और शेयर ट्रांसफर बुक, **शनिवार, सितंबर 18, 2021 से बुधवार, सितंबर 29, 2021** तक (दोनों दिन शामिल) बंद रहेंगे।

इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से और एजीएम की तारीख तक सदस्यों द्वारा निःशुल्क निरीक्षण हेतु सूचना में विनिर्दिष्ट दस्तावेज इलेक्ट्रॉनिक रूप में उपलब्ध है। ऐसे दस्तावेजों का निरीक्षण करने वाले सदस्य अपना नाम, डीपी आईडी और क्लाइंट आईडी/फोलियो नंबर और स्थायी खाता संख्या (पैन) का उल्लेख करते हुए agm2021@nhpc.nic.in पर ई–मेल भेज सकते हैं।

सेबी (एलओडीआर) के विनियम 44 और सुसंगत नियमों के साथ पठित अधिनियम की धारा 108 के अनुसार, कंपनी एजीएम के दौरान रिमोट ई–वोटिंग और ई–वोटिंग के माध्यम 45वीं एजीएम में संचालित किए जाने वाले कारोबार पर मतदान करने के अपने अधिकार का प्रयोग करने के लिए सदस्यों को ई–वोटिंग सुविधा प्रदान कर रही है। कंपनी ने एजीएम के लिए ई–वोटिंग की सुविधा प्रदान करने के लिए एजेंसी के रूप में एनएसडीएल की सेवाएं ली हैं। सदस्य एनएसडीएल की ई–वोटिंग प्रणाली के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक रूप से अपने मत दे सकते हैं। सभी सदस्यों को सूचित किया जाता है कि:

(क) 45वीं एजीएम की सूचना में यथा विनिर्दिष्ट कारोबारों को इलेक्ट्रॉनिक साधनों द्वारा मतदान के माध्यम से संचालित किए जा सकते हैं।

(ख) सदस्य अपने रिमोट ई–वोटिंग क्रेडेंशियल्स का उपयोग करके वीसी / ओएवीएम के माध्यम से 45वीं एजीएम में भाग ले सकते हैं।

(ग) वीसी / ओएवीएम के माध्यम से एजीएम में भाग लेने के लिए अनुदेश और ई–वोटिंग की प्रक्रिया को इस तरह से संचालित करना है, जिसमें भौतिक रूप में शेयर रखने वाले सदस्य या जिन्होंने अपना ई–मेल पता पंजीकृत नहीं किया है, वे एजीएम के नोटिस में दिए गए निर्देशों के अनुसार ई–वोटिंग के माध्यम से अपना मतदान कर सकते हैं।

(घ) रिमोट ई–वोटिंग **शनिवार, सितंबर 25,2021** को **सुबह 9:00 बजे** (भारतीय मानक समय) से शुरू होगी और मंगलवार, सितंबर 28, 2021 को शाम 5 बजे (भारतीय मानक समय) समाप्त होगी। **मंगलवार, सितंबर 28, 2021** को शाम 5:00 बजे (भारतीय मानक समय) के बाद रिमोट ई–वोटिंग करने की अनुमति नहीं होगी और सदस्य द्वारा संकल्प पर मत देने के पश्चात, उन्हें बाद में इसे बदलने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

(ङ) वे सदस्य जिनके नाम कटऑफ तारीख अर्थात **बुधवार, सितंबर 22, 2021** की स्थिति के अनुसार, सदस्यों के रजिस्टर में या डिपाजटॉरीज द्वारा बनाई गई लाभकारी स्वामियों की सूची में दर्ज है, केवल वे ही एजीएम के दौरान रिमोट ई–वोटिंग या ई–वोटिंग सुविधा का लाभ लेने के हकदार होंगे।

(च) कोई व्यक्ति, जो कंपनी के शेयरों का अधिग्रहण करता है तथा एजीएम की सूचना भेजने के बाद सदस्य बन जाता है और कट–ऑफ तारीख अर्थात **बुधवार, सितंबर 22, 2021 तक शेयरों को धारित करता है, तो वह** evoting@nsdl.co.in पर अनुरोध भेजकर लॉगिन आईडी और पासवर्ड प्राप्त कर सकता है। आईडी और पासवर्ड प्राप्त करने की विस्तृत प्रक्रिया एजीएम की नोटिस में भी दी गई है। हालांकि, यदि कोई व्यक्ति ई–वोटिंग के लिए पहले से ही एनएसडीएल से पंजीकृत है, तो मौजूदा उपयोगकर्ता आईडी और पासवर्ड का उपयोग मतदान के लिए किया जा सकता है।

(छ) सदस्य नोट करें कि: –

I. जिन सदस्यों ने एजीएम से पहले रिमोट ई–वोटिंग से अपना मतदान किया है, वे वीसी / ओएवीएम के माध्यम से एजीएम में शामिल हो सकते हैं, लेकिन फिर से अपना मतदान करने के पात्र नहीं होंगे। जिन सदस्यों ने रिमोट ई–वोटिंग के माध्यम से अपना मतदान नहीं किया है और वीसी / ओएवीएम के माध्यम से एजीएम में उपस्थित हैं, वे एजीएम के दौरान ई–वोटिंग के माध्यम से मतदान करने के पात्र होंगे।

II. लाभांश संबंधी सूचना:–

क) अंतिम लाभांश प्राप्त करने के लिए सदस्यों के हकदारी के निर्धारण के लिए, यदि एजीएम में घोषित होने पर, कंपनी ने **शुक्रवार, सितंबर 17,2021** को "रिकॉर्ड तिथि" के रूप में तय किया है। वे सदस्य, जिनके नाम रिकॉर्ड तिथि के अनुसार लाभकारी स्वामियों की सूची / सदस्यों के रजिस्टर में दिखाई देते हैं, वे अंतिम लाभांश प्राप्त करने के हकदार होंगे।

ख) प्रासंगिक परिपत्रों के अनुसार, लाभांश का भुगतान विभिन्न इलेक्ट्रॉनिक मोड के माध्यम से उन सदस्यों को किया जाएगा जिन्होंने अपने बैंक खाते के विवरण को अपडेट किया है। लाभांश वारंट / डिमांड ड्राफ्ट / चेक उन सदस्यों के पंजीकृत पते पर भेजा जाएगा जिन्होंने अपने बैंक खाते के विवरण को अपडेट नहीं किया है।

ग) लाभांश का भुगतान लागू दरों पर टैक्स एट सोर्स (टीडीएस) की कटौती के अधीन होगा, अधिक जानकारी के लिए, एजीएम के नोटिस में दिए गए नोट को देखें।

एजीएम के दौरान रिमोट ई–वोटिंग, ई–वोटिंग से संबंधित विस्तृत निर्देशों एवं वीसी/ओएवीएम के माध्यम से एजीएम से जुड़ने के लिए, सदस्य एजीएम के नोटिस में दिए गए निर्देशों का संदर्भ देख सकते हैं या https://www.evoting.nsdl.com पर जा सकते हैं। ई–वोटिंग के लिए यूजर आईडी और पासवर्ड के विवरण सहित जानकारी और निर्देश ई–मेल के माध्यम से सदस्यों को भेजे गए हैं। वीसी / ओएवीएम के माध्यम से एजीएम में भाग लेने के लिए एक ही लॉगिन क्रेडेंशियल का उपयोग किया जाना चाहिए।

किसी भी पूछताछ के मामले में सदस्य कृपया www.evoting.nsdl.com के डाउनलोड अनुभाग में उपलब्ध शेयरधारकों के लिए अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (एफएक्यू) और शेयरधारकों के लिए ई–वोटिंग उपयोगकर्ता मैनुअल का संदर्भ ग्रहण करें अथवा टॉल फ्री नंबर 1800 1020 990 और 1800 22 44 30 पर कॉल करें अथवा मेल आईडी evoting@nsdl.co.in पर अनुरोध भेजें अथवा सुश्री पल्लवी म्हात्रे, प्रबंधक या सुश्री सोनी सिंह, सहा. प्रबंधक, नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड, ट्रेड वर्ल्ड, 'ए' विंग, चौथी मंजिल, कमला मिल्स कंपाउंड, सेनापति बापट मार्ग, लोअर परेल, मुंबई–400013 से निर्दिष्ट ईमेल आईडी–evoting@nsdl.co.in या pallavid@nsdl.co.in या sonis@nsdl.co.in पर अथवा टेलीफोन नंबरः+ 91 22 24994545, +91 22 24994559 पर संपर्क करें। इन व्यक्तियों से एजीएम से पहले या उसके दौरान ई–वोटिंग, वीसी/ओएवीएम के माध्यम से एजीएम में जुड़ने से संबंधित शिकायतों का निवारण और कोई अन्य तकनीकी सहायता प्राप्त की जा सकेगी।

(ज) इलेक्ट्रॉनिक रूप से कंपनी से सभी संचार (एजीएम की सूचना और वार्षिक रिपोर्ट सहित) प्राप्त करने के लिए:

क) डीमैटीरियलाइज्ड मोड में शेयर रखने वाले सदस्यों से अनुरोध है कि वे अपने संबंधित डिपॉजिटरी प्रतिभागियों के साथ अपना ई–मेल पता पंजीकृत / अपडेट करें।

ख) फिजिकल मोड में शेयर रखने वाले सभी सदस्य और वे सदस्य जिन्होने कंपनी के साथ अपना ई–मेल पता पंजीकृत / अद्यतन नहीं किया है, उनसे अनुरोध है कि वे अपना नाम, फोलियो नंबर और पता का उल्लेख करते हुए हस्ताक्षरित अनुरोध पत्र की प्रति के साथ, पैन कार्ड की स्व–सत्यापित प्रति और पते के समर्थन में किसी भी दस्तावेज (जैसे ड्राइविंग लाइसेंस, चुनाव पहचान पत्र, पासपोर्ट) की स्व–सत्यापित प्रति के साथ कंपनी (ईमेलः agm2021@nhpc.nic.in)/आरटीए (ईमेलः alankit.nhpc@alankit.com) को लिखकर इसे पंजीकृत/अद्यतन करवा लें।

वे सदस्य जो एजीएम के दौरान अपने विचार व्यक्त करना चाहते हैं या प्रश्न पूछना चाहते हैं, अपने पंजीकृत ई–मेल पते से अपना नाम, डीपी आईडी और क्लाइंट आईडी / फोलियो नंबर, पैन, मोबाइल नंबर का उल्लेख करते हुए agm2021@nhpc.nic.in पर **सोमवार, सितंबर 20, 2021 से गुरुवार, सितंबर 23, 2021** तक अपना अनुरोध भेजकर स्वयं को एक वक्ता के रूप में पंजीकृत कर सकते हैं। जिन सदस्यों ने स्वयं को एक वक्ता के रूप में पंजीकृत किया है, उन्हें केवल एजीएम के दौरान अपने विचार व्यक्त करने / प्रश्न पूछने की अनुमति होगी। कंपनी के पास समय की उपलब्धता और एजीएम के सुचारू संचालन के अनुसार प्रश्नों की संख्या एवं बोलने वालों की संख्या को सीमित करने का अधिकार है।

सदस्य अपना अनुरोध कंपनी सचिव को agm2021@nhpc.nic.in पर या कंपनी के पंजीकृत कार्यालय में भी कर सकते हैं।

जिन सदस्यों ने पिछले वर्षों के लिए अपने लाभांश वारंट को संकोशित (एनकैश्ड) या प्राप्त नहीं किया है, तो उन्हें सलाह दी जाती है कि वे आरटीए को उसे पुनर्वैध करने या उसके डुप्लिकेट प्राप्त करने के लिए लिखें।

एनएचपीसी लिमिटेड के लिए और उनकी ओर से

हस्ता/–
(सौरभ चक्रवर्ती)
कंपनी सचिव

दिनांक : सितंबर 02, 2021
स्थान : फरीदाबाद

शेयर धारकों को सूचना

एतद्द्वारा यह सूचित किया जाता है कि राइट्स लिमिटेड के सदस्यों की 47वीं वार्षिक आमसभा का आयोजन बुधवार, दिनांक 29 सितंबर, 2021 को प्रातः 11:00 बजे वीडियो कांफ्रेंसिंग ("वीसी")/अन्य ऑडियो विजुअल विधियों ("ओएवीएम") के माध्यम से वार्षिक आम सभा के आयोजन के संबंध में वितरित की जा रही सूचना में निर्धारित कार्य–संपादन के लिए किया जाएगा।

कोविड–19 वैश्विक महामारी के जारी प्रसार को देखते हुए कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा जारी दिनांक 5 मई, 2020 के सामान्य परिपत्र संख्या 20/2020, 8 अप्रैल, 2020 के सामान्य परिपत्र संख्या 14/2020 तथा 13 अप्रैल, 2020 के परिपत्र संख्या 17/2020 के साथ पठित दिनांक 13 जनवरी, 2021 के सामान्य परिपत्र संख्या 02/2021 एवं भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) द्वारा जारी दिनांक 12 मई, 2020 के परिपत्र संख्या एसईबीआई/एचओ/सीएफडी/ सीएमडी1/सीआईआर/पी/2020/79 (सामूहिक रूप से परिपत्रों के नाम से संदर्भित) द्वारा कम्पनियों को सदस्यों की बैठक का आयोजन किसी एक स्थान पर भौतिक उपस्थिति के बिना वीडियो कांफ्रेंसिंग (वीसी) अथवा अन्य ऑडियो विजुअल विधियों (ओएवीएम) से करने की अनुमति दी गई है। इन परिपत्रों का अनुसरण करते हुए कम्पनी की वार्षिक आमसभा का आयोजन वीडियो कांफ्रेंसिंग (वीसी)/अन्य ऑडियो विजुअल विधियों (ओएवीएम) से किया जा रहा है।

कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय के उपर्युक्त परिपत्रों एवं दिनांक 12 मई, 2020 के सेबी परिपत्र के अनुसरण में वार्षिक आमसभा की सूचना के साथ वित्तीय वर्ष 2020–21 की वार्षिक रिपोर्ट केवल उन्हीं सदस्यों को इलैक्ट्रानिक माध्यम से भेजी जा रही है जिनके ईमेल पते कम्पनी/डिपोजिटरी के पास पंजीकृत हैं। सदस्य कृपया यह नोट करें कि वार्षिक आम सभा की सूचना एवं वार्षिक रिपोर्ट कम्पनी की वेबसाइट **www.rites.com** तथा स्टॉक एक्सचेंजों अर्थात बीएसई लिमिटेड एवं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड की वेबसाइटों क्रमशः **www.bseindia.com** एवं **www.nseindia.com** पर भी उपलब्ध हैं। सदस्य केवल वीडियो कांफ्रेंसिंग/अन्य ऑडियो विजुअल विधियों से वार्षिक आम सभा में भाग तथा प्रतिभागिता कर सकते हैं। वार्षिक आमसभा में भाग लेने से संबंधित निर्देश वार्षिक आमसभा की सूचना में दिए गए हैं। कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 103 के अंतर्गत कोरम का गणन करने के उद्देश्य से वीडियो कांफ्रेंसिंग/अन्य ऑडियो विजुअल विधियों से बैठक में भाग लेने वाले सदस्यों की गणना की जाएगी।

कम्पनी की ओर से अपने सभी सदस्यों को वार्षिक आम सभा की सूचना में निर्धारित संकल्पों पर अपना वोट देने के लिए रिमोट ई–वोटिंग सुविधा ("रिमोट ई–वोटिंग") की सुविधा प्रदान की गई है। इसके अलावा, कम्पनी वार्षिक आम सभा के दौरान ई–वोटिंग प्रणाली के माध्यम से वोट देने की सुविधा भी प्रदान कर रही है। रिमोट ई–वोटिंग/ई–वोटिंग से संबंधित विस्तृत प्रक्रिया वार्षिक आम सभा की सूचना में दी गई है।

यदि आपका ईमेल पता पहले से ही कम्पनी/आरटीए के पास पंजीकृत है तो आपको ई–वोटिंग के लिए लॉगिन विवरण आपके पंजीकृत ईमेल पते पर भेजा रहा है।

यदि आपका ईमेल पता कम्पनी/आरटीए के पास पंजीकृत नहीं है तथा/अथवा लाभांश की प्राप्ति के लिए आपका बैंक खाता मैनडेट अद्यतन नहीं है तो कृपया नीचे दिए निदेशों का अनुसरण करें :–

क) ई–मेल आईडी वार्षिक रिपोर्ट तथा ई–वोटिंग के लिए लॉगिन विवरण प्राप्त करने हेतु पंजीकृत करवायें **(21 सितंबर, 2021 तक सांय 5.00 बजे (आईएसटी) से पहले या तक)।**

क)	https://linkintime.co.in/emailreg/email_register.html पर जाएं।
ख)	कंपनी का नाम चयनित करें अर्थात राइट्स लिमिटेड;
ग)	डीपी आईडी तथा क्लाईंट आईडी/फिजिकल फोलियों नंबर तथा पैन नंबर दर्ज करें। रिकॉर्ड में फिजिकल फोलियों के लिए पैन नंबर का विवरण उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में, सदस्य को अपने एक शेयर प्रमाण पत्र का नंबर दर्ज करना होगा;
घ)	प्रमाणीकरण के लिए, पैन कॉर्ड की स्वःसत्यापित प्रति अपलोड करें। यदि सिस्टम में पैन विवरण उपलब्ध नहीं है तो सिस्टम अपडेशन के लिए सदस्य को पैन कॉर्ड की स्वःसत्यापित प्रति अपलोड करने का निर्देश प्राप्त होगा;
च)	अपना ई–मेल पता तथा मोबाईल नंबर दर्ज करें;
छ)	इसके उपरांत, सिस्टम एजीएम नोटिस प्राप्त करने हेतु ई–मेल पते की पुष्टि करेगा।

ख) नेशनल ऑटोमेटेड क्लियरिंग हाऊस (एनएसीएच) या किसी अन्य माध्यम से सीधे लाभांश प्राप्त करना **(21 सितंबर, 2021 तक सांय 5.00 बजे (आईएसटी) से पहले या तक)।**

भौतिक धारण	क) https://linkintime.co.in/emailreg/email_register.html; पर जाएं; ख) "बैंक विवरण अपडेट" के अंतर्गत, निम्नलिखित जानकारी भरें: 1) बैंक खाता संख्या 2) बैंक का नाम 3) आईएफएससी कोड ग) पैन कार्ड की स्वःप्रमाणित स्कैन कॉपी अपलोड करें; घ) कंपनी में सदस्य के रूप मैं पंजीकृत किए गए पते की पुष्टि करवाने के लिए किसी भी दस्तावेज की स्वयंःसत्यापित स्कैन की गई प्रति (जैसेकि आधार कार्ड, पासपोर्ट) अपलोड करें; च) सदस्य के नाम तथा यदि शेयरों का संयुक्त धारण है तो प्रथम धारक के नाम वाले रद्द किए गए चैक की स्कैन की गई स्वयं सत्यापित प्रति अपलोड करें।
डीमैट होल्डिंग	डीमैट रूप में शेयर धारित करने वाले सदस्यों से अनुरोध है कि वे अपने संबंधित डीपी के साथ ई–पेमेंट मैनडेट को अद्यतन(अपडेट) कर लें।

इसके विकल्प के तौरपर, डीमेट स्वरूप में शेयरों का धारण करने वाले सदस्य अपने ईमेल पते एवं ई–पेमेंट मैनडेट अपने डिपोजिटरी पार्टिसिपेंट (डीपी) के पास तथा यदि शेयरों का धारण भौतिक स्वरूप में किया है तो रजिस्ट्रार के पास अद्यतन करवा सकते हैं।

वित्त अधिनियम, 2020 के अनुसार दिनांक 1 अप्रैल, 2020 से लाभांश आय शेयरधारकों द्वारा कर भुगतान किए जाने योग्य है तथा शेयरधारकों को चुकता किए जाने वाले लाभांश के प्रति कम्पनी से निर्धारित दरों पर स्रोत पर कर कटौती की जानी अपेक्षित है। शेयर धारकों से यह अनुरोध है कि विभिन्न वर्गों के लिए निर्धारित दरें ज्ञात करने के लिए वे वित्त अधिनियम, 2020 एवं उससे संबंधित संशोधनों का अवलोकन करें। शेयरधारकों से यह अनुरोध है कि वे अपना पैन कम्पनी/आरटीए के पास (यदि शेयरों का धारण भौतिक स्वरूप में किया है) तथा डिपोजिटरी (यदि शेयरों का धारण डीमेट स्वरूप में किया है) के पास अद्यतन करवा लें।

ऐसे निवासी वैयक्तिक शेयरधारक, जिनके पास पैन है तथा जो आयकर चुकता करने के पात्र नहीं हैं, स्रोत पर कर कटौती न किए जाने का लाभ, प्राप्त करने के लिए फार्म संख्या 15जी/15एच में वार्षिक घोषणा दिनांक 21 सितंबर, 2021 को सायं 5 बजे (आईएसटी) तक **vinay.kumar@linkintime.co.in** को ईमेल द्वारा भेज सकते हैं। शेयरधारकों से यह अनुरोध है कि कृपया वे यह नोट कर लें पैन पंजीकृत न होने की स्थिति में कर की कटौती 20 प्रतिशत की उच्चतर दर पर की जाएगी।

यदि किसी स्थिति में, बैंक खाता पंजीकरण न होने के कारण, कम्पनी किसी शेयरधारक को इलैक्ट्रानिक माध्यम से लाभांश का भुगतान नहीं कर पाती है तो ऐसे शेयर धारकों को लाभांश वारंट/चैक प्रेषित कर दिए जाएंगे।

कृते राइट्स लिमिटेड
हस्ताक्षर/–
श्री जोशीत रंजन सिकिदर
कंपनी सचिव

स्थान : गुरूग्राम
दिनांक : 03.09.2021